1200 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना संयत्र में कोयला परिवहन हेतु ग्राम–कुनकुनी तहसील खरसिया जिला–रायगढ़ की नीजि भूमि अधिग्रहण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम, 2016 के परिपेक्ष्य में

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

प्रस्तावना

सचिव छ.ग. शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक– एफ 11–31/2013/11/6 दिनांक 07/11/2013 में ग्राम कुनकुनी की निजी भूमि रकबा 56.72 एकड़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रेल लाईन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने की प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति एवं संचालक उद्योग संचालनालय रायपुर के पत्र क्रमांक 44/अधोविक/भू0अ0/2013/16236 दिनांक 31/08/2013 में उक्त भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही उपरांत भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने हेतु मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ को अधिकृत करने के आधार पर मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ के पत्र कमांक/जिव्याउके–रा/भू–अर्जन/2014/162 रायगढ़ दिनांक 07/01/2014 में भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर रायगढ़ के आदेश कमांक 5862/भू–अर्जन/2016 दिनांक 16.6.2016 के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर से जारी पत्र कमांक एफ 4–28/सात–1/2014 नया रायपुर दिनांक 6 फरवरी 2016 अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण दल का गठन किये जाने के आधार पर उक्त वर्णित प्रावधानों के तहत जनसुनवाई 29.06.2016 निम्नानुसार किया गया।

सर्वप्रथम अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधि प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जनों को अवगत कराया गया कि– ऊर्जा आज लोक प्रायोजन का विषय बना हुआ है अतः इसके कारण विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता का बल प्रदान होता है। देश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डी.बी. पावर लिमिटेड भी ग्राम–बाड़ादरहा में 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित की है जिसे चलाने के लिये कोयले की आवश्यकता है और कोयले की आपूर्ति रेल मार्ग से ही उपयुक्त हो सकती है ग्राम– कुनकुनी मुंबई–हावड़ा मुख्य रेल मार्ग के समीप होने के कारण कम दूरी तय कर संस्थान में कोयले की आपूर्ति की जा सकती है। रेल लाईन निर्माण हेतु इस गांव की कुल 45.87 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। रेल मार्ग निर्माण बावत दक्षिण–पूर्व रेलवे, बिलासपुर जोन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही किया जाना है इस कार्य के लिये सर्वप्रथम सामाजिक समाघात का आंकलन/निर्धारण किया जाना है, चूंकि इस परियोजना के लिए भूमि की जो आवश्यकता है वह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है। इस परियोजना के निर्माण में सभी सामाजिक लागत/पहलुओं एवं फायदों का निर्धारण किया गया है।

कार्यकारी सार –

(क) छत्तीसगढ़ राज्य शासन की उद्योग विभाग द्वारा रेलवे कारिडोर का निर्माण के लिए भू–अर्जन कुनकुनी गांव में प्रस्तावित है। डी.बी.पावर लिमिटेड देश की अग्रणी मीडिया (अखबार) ग्रुप का एक अभिन्न अंग है जो कि ग्राम– बाड़ादरहा, पोस्ट –कंवली, तहसील–डभरा जिला– जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। यह एक विद्युत परियोजना है जो कि कोल आधारित 1200 मेगावाट की उत्पादन क्षमता रखती है। चूंकि, ऊर्जा आज लोक प्रायोजन का विषय बना हुआ है अतः इसके कारण विद्युत परियोजनाओं की आवश्यकता को बल प्रदान होता है। देश की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डी.बी.पावर लिमिटेड भी ग्राम–बाड़ादरहा में 1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थापित की है जिसे चलाने के लिये कोयले की आवश्यकता है और कोयले की आपूर्ति रेल परियोजना से ही संभव हो सकती है जो कि ग्राम – कुनकुनी होते हुए सबसे कम दूरी तय कर की जा सकती है। इस कार्य हेतु उस गांव की कुल 45.87 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु दक्षिण–पूर्व रेलवे, बिलासपुर जोन के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(ख) स्थान

ग्राम– कुनकुनी, तहसील– खरसिया, जिला – रायगढ।

(ग) भूमि अर्जन का आधार और विषेषता

क्र. सं.	ग्राम	रकबा (एकड़ में)	विशेषता
1	कुनकुनी	45.87	औद्योगिक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित रेल कारिडोर हेतु
कुल		45.87	

(1) इस परियोजना में रेल्वे के सर्वे शर्तो के अनुसार न्युनतम भूमि का अर्जन प्रस्तावित।
(2) इस परियोजना में विस्थापन की संख्या शुन्य है ।
(3) इस परियोजना में किसी भी प्रकार की सरकारी भवन, नहर, स्कूल, स्वास्थकेन्द्र, देवस्थल आदि प्रभावित नही हो रही है ।
(4) इस परियोजना के लिए सभी विकल्पों का अध्ययन पश्चात् सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त विकल्प का चयन किया गया है।

(घ) अनुकल्पों पर विचार

चूकि ग्राम कुनकुनी में भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य शासन द्वारा सैध्दांतिक सहमति प्राप्त है। ग्राम कुनकुनी में रेल कारिडोर हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। दूसरे विकल्प के तौर पे अगल–बगल में केवल निजी भूमि भी आवश्यक है। शासकीय एवं वनभूमि भी आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी दिया गया है कि यह न्यूनतम अधिग्रहित क्षेत्र है।

(ड.) सामाजिक समाघात

ग्राम कुनकुनी में भूमि अधिग्रहण किया जाना है सामाजिक समाघात का आंकलन किया गया है।

(च) कमी करने का उपाय

सीमित विकल्पों के बावजूत इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाए और परियोजना क्षेत्र के रेखांकन इसी नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक सीमित प्राकृतिक संसाधन है अतः अपब्यय रोकने हेतु भूमि की आवश्यकता को यथासंभव रेलवे के मापदण्ड के अनुरूप रखा गया है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की बस्तियों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण

डी.बी.पावर लि. (दैनिक भास्कर समूह की) के स्वामित्व की एक परियोजना हैं। प्रस्तावित प्रकल्प तेजी से हो रहे औद्योगीकरण, सिंचाई घरेलू व वाणिज्यिक कार्यो में बिजली की व्यापक उपयोग के कारण बढ़ती हुई बिजली की मांग को आंशिक रूप से पूरा करेगा। डी.बी.पावर लि. परियोजना के स्थापित होने पर क्षेत्र की आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। इसके माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, साथ ही परोक्ष रूप में रोजगार के अवसरों की भी उपलब्धता होगी। स्थानीय लोगों को लाभ देगा।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(क) परियोजना की पृष्टभूमि जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्टभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित।

1200 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजना स्थल तक रेल लाईन निर्माण बावत छत्तीसगढ़ राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा ग्राम कुनकुनी के निजी भूमि में भू–अर्जन की कार्यवाही प्रस्तावित है। डी.बी.पावर लिमिटेड देश की अग्रणी मीडिया (अखबार) ग्रुप का एक अभिन्न अंग है जो कि ग्राम– बाड़ादरहा, पोस्ट –कंवली, तहसील–डभरा जिला– जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। एवं लोक हितार्थ विद्युत उत्पादन कर रहा है।

(ख) परियोजना का मूलधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह का लोक परियोजना के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित।

परियोजना का मूल आधार विद्युत उत्पादन है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ है। चूंकि भूमि उद्योग विभाग के माध्यम से कंपनी को लीज पर दिया जावेगा फलस्वरूप इसमें शासन की अधिकारिकता निहित रहेगी, लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है। इस परियोजना हेतु कोयले का परिवहन किया जाना है रेल लाईन निर्माण हेतू भूमि की आवश्यकता अपरिहार्य है। जहां परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है वहां विस्थापन की सम्भावनाएं बढ़ जाती है किन्तु इस रेल परियोजना से किसी भी तरह का विस्थापन नहीं किया जावेगा। परियोजनाएं जहां स्थापित होती है वहां आस–पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस प्ररियोजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे जो विकासशील होगा। यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू–स्वामियों को उचित दर पर भूमि का मुआवजा दिया जायेगा इसके अतिरिक्त दूसरे आय–अर्जन व्यवसाय से जुड़ कर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगें। परियोजना से भू–अर्जन एवं पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 2013 के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा। जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अलावा गांव एवं आस–पास क्षेत्र में सी.एस.आर. के तहत आधारभूत. संरचनाओं पर कार्य कराये जावेंगे तथा गांव के युवा वर्ग/बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर आय–अर्जन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। क्षेत्र वासियों के निश्चित ही आय में वृद्धि होने पर उनके ब्यय करने की क्षमता में वृद्धि होगी जिससे वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते है जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगी।

इस प्रकार यह परियोजना लोक परियोजना की श्रेणी में है जो उपयुक्त है ।

जगरूकता और विचार – सामाजिक–आर्थिक अंकेक्षण के दौरान परियोजना प्रभावित परिवारों से परियोजना संबंधित प्रष्न जैसे– जागरूकता, परियोजना की जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत तथा परियोजना के संबंध में उनके विचार के बारे में भी पूछा गया। ग्राम कुनकुनी में प्रष्नो के आधार पर विभिन्न जानकारियां एवं विचार प्राप्त किये गये जो कि निम्नलिखित हैं :–

क. संख्या	विवरण	प्रतिषत (%)
1	प्रस्तावित रेल परियोजना के संबंध में जागरूकता	
1.1	हॉ	92
1.2	नहीं	8
2	स्त्रोत की जानकारी	
2.1	समाचार पत्र	15
2.2	टी.व्ही.	0

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

2.3	अन्य (सर्वेक्षण)	85
3	परियोजना के संबंध में विचार	
3.1	अच्छा	90
3.2	खराब	6.3
3.3	कह नहीं सकते	3.7

(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन, लक्ष्य लागत जोखिम का ब्योरा

परियोजना का आकार – रेल लाईन निर्माण (14 कि.मी. संयत्र स्थल बाड़ारदहा से रार्बटसन रेल्वे लाईन तक)

अवस्थान – बाड़ादरहा स्थित ताप विद्युत परियोजना स्थल

क्षमता – 1200 मेगावाट विद्युत परियोजना

उत्पाद – विद्युत

उत्पादन – कोयला से

लक्ष्य – 1200 मेगावाट

लागत – 20.81 करोड़

जोखिम – संस्थान को सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन रखने हेतु निर्देशित करना उचित होगा ताकि जोखिम की स्थिति निर्मित न हो।

(घ) अनुकल्पों की परीक्षा

रेलवे के माध्यम से कोल परिवहन रेल्वे के मापदंडों के तहत कराया जावे।

(ड.) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं

रेल लाईन का निर्माण भूमि अर्जन कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत किया जावेगा।

(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और सुविधाओं का आकार एवं प्रकार

विभाग/संस्थान द्वारा प्रस्तुत संलग्न है।

(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता–

संयत्र हेतु भूमि अर्जन नहीं होने के कारण आवश्यकता नहीं है अपितु रेल लाईन निर्माण में आधारभूत संरचनाओं को ध्यान रखा जाना उचित होगा।

(ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई एवं स्थाई)

चूंकि भूमि अर्जन रेल लाईन निर्माण हेतु किया जा रहा है इसमें मजदूरों या कुषल/अर्द्धकुषल व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है फिर भी प्रभावितों को संस्थान में रोजगार या आय के पर्याप्त साधन मुहैया कराना संस्थान का दायित्व होना चाहिये।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्योरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट

संस्थान को भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होना बताया गया है वर्तमान में रेल लाईन निर्माण बावत भू–अर्जन से संदर्भित सामाजिक समाघात निर्धारण हो रहा है ।

(ञ) लागू किए गए विधान एवं नीतियां

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अध्यधीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016

दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

(क) गैरशासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –	श्रीमती सुशीला गोयल, प्राध्यापक (समाज शास्त्र), महात्मा गांधी शासकीय महाविद्यालय तहसील खरसिया
(ख) स्थानीय निकायों के प्रतिनिधी –	1. श्री छेदु राम राठिया (अध्यक्ष) जनपत पंचायत खरसिया 2. श्रीमती मीनाक्षी राठौर (सदस्य) जिला पंचायत सदस्य खरसिया क्षेत्र क. 15 जनपत पंचायत
(ग) पुर्नव्यवस्थापन से संबंधित विषय का –	श्री आर.एल.शर्मा सहायक अभियंता केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग रायगढ़ (पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ)
(घ) परियोजना से संबंधित विषय का –	श्री एस.सी.साय, अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) उप संभाग खरसिया
(ड.) प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार –	तहसील खरसिया (संयोजक)

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू सूचना संग्रहण के लिये प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलधार तथा साधन

- सामाजिक मानचित्र
- संसाधन मानचित्र
- प्रारंभिक आंकड़े
- द्वितीयक आंकड़े

सामाजिक समाघात निर्धारण की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन तथा भू–अर्जन हेतु सहमती की संख्या

प्राप्त आवेदन का विवरण – संलग्न है

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सहमति संख्या – 55

असहमति – निरक

भू–अर्जन की प्रकिृया सामाजिक समाघात निर्धारण के पूर्व प्रावधानों के तहत किया गया था जिसमें ग्राम सभा हुआ था उसमें सहमति के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे।

साथ ही प्राप्त कृषकों से पृथक–पृथक सहमति प्राप्त की गई। यह कि उपरोक्त कार्यवाही दस्तावेजों प्रमाण के रूप में मौजूद है, अतः उक्त दस्तावेज को नजर अंदाज नही किया जा सकता। सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुक्रम में पर्याप्त सहमति मान्य की जाती हैं ।

प्राप्त सुझाव आवेदन का निराकरण – संलग्न है।

1. **प्रारंभिक आंकड़े** – प्रारंभिक आंकड़े को सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू एक महत्वपूर्ण एवं अपनी ही उपयोगिता है। इससे हमें प्रथम दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई साक्षात देखने को मिलता है अथवा लोगों के जानकारी द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रारंभिक आंकड़े कहा जाता है। इस तरीके का उपयोग सर्वेक्षित कर्ता खुद अपने आप उस खास जगह पर जाकर करता है जिसका उपयोग प्रयोजन हेतू करना है। ये आंकड़े लोगों से बात–चीत कर तथा देखकर जुटाये जाते हैं।

2. **द्वितीयक आंकड़े** – दूसरों के द्वारा सर्वेक्षित किये गये आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। जिसका प्रयोग सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू किया जाता है। यह किताब के रूप में पत्रिका के रूप में या शासन के रिकार्ड, सैसस रिपोर्ट के रिकार्ड के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

3. **सामाजिक मानचित्र** – सामाजिक मानचित्र, सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये एक उचित उपयुक्त साधन हो सकता है, जिससे हम एक मानचित्र के सहारे सम्पूर्ण गांव के घरों, सुविधाओं जैसे –मंदिर, स्टोर, स्कूल, अस्पताल, रोड़ सड़क, पेयजल सुविधाएं सिंचाई एवं मनोरंजन के स्थानों का अवलोकन कर सकते हैं यह मानचित्र घरों की स्थिति तथा उसके सही जगह और गांव में अन्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। जो कि हमें किसी प्रयोजन हेतु प्लान को लागू करने, उसकी देखरेख करने तथा समाघात करने में सहायता प्रदान करती है। मानचित्र संलग्न है।

4. **संसाधन मानचित्र** – सामाजिक मानचित्र से गांव के समुदाय एवं संसाधनों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ज्ञात हुई मुख्यतः एक फसली कृषि आधारित क्षेत्र है।

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई के समय किया गया है, चर्चा पूर्ण की गई है।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्त्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।)

सूचना एवं डाटा स्त्रोतों के लिए द्वितीयक आकड़े का सहारा लेकर इसे राजस्व विभाग से लिया गया है।

(ड.) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची (लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये)

आवश्यक नहीं है।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

भूमि अवधारण

(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्त्रोत – नक्शों की सहायता से वर्णन करें

संलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक)

परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र कुल 45.87 एकड़ है।

(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि

परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि कुल 45.87 एकड़ है।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास है का उपयोग

इस परिधि की भूमि परियोजना में नहीं है।

(ड.) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संकमित पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लांट का आषयित उपयोग

नहीं है।

(च) परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान

परियोजना के लिये अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण 45.87 एकड़ है जो कि ग्राम – कुनकुनी, तहसील–खरसिया, जिला – रायगढ़, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो, तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम

ग्राम – कुनकुनी में परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य है और जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है जो कि गांव में स्थित बांध के द्वारा सिंचित है। **फसल क्रम**

वर्षाऋतु में – धान, उड़द, मूगफल्ली इत्यादि

गर्मी के समय में – धान , मूगफल्ली, हरी सब्जियां इत्यादि

ठंड के समय में – तिवड़ा दाल, इत्यादि

(ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या

सूचीं संलग्न है। आवासीय सदन निरंक है।

(झ) भूमि कीमत और स्वामित्व में परिवर्तन, पिछले 3 वर्षो से भूमि का अंतरण और उपयोग

ग्राम–कुनकुनी के परियोजना हेतु प्रस्तावित जमीन की कीमत भू–अर्जन अधिनियम 2013 के तहत शासन के द्वारा निर्धारित की जायेगी संबंधित को प्रदाय किया जावेगा, राजस्व अभिलेख संलग्न है।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है)

1. किरायेदार हैं अथवा अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि के अधिभोगी है।
   भूमिस्वामी है।
2. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है।
   सम्बंधित नहीं है।
3. सामान्य भूमि स्त्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी।
   कुल 61 खातेदार/भूस्वामी प्रभावित हैं इन सभी का भूमि अर्जन से जीविकोपार्जन प्रभावित नहीं हो रहा है।
4. समुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के भूमि सौपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है।
   निरंक ।
5. भूमि अर्जन के पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षो या उससे अधिक समय से रह रहे हैं।
   आबादी स्थल नहीं है।
6. अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षो से जीविका का प्राथमिक स्त्रोत है।
   कृषि कार्य किया जाता है।

(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है)
नहीं है।

(ग) उत्पादक आस्तियों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका
कृषि के अतिरिक्त और कोई उत्पादन नहीं रहने के कारण आवश्यक नहीं है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का सॉख्यिकी ब्योरा

कुल जनसंख्या – 2323

(ख) आय एवं गरीबी स्तर

ग्राम – कुनकुनी में कुल परिवारों की संख्या – 274 है जिसमें सिर्फ 15 से 20 परिवार का सालाना आय 60 से 70 हजार रूपये है। और 259 परिवारों का वार्षिक आय 25 से 30 हजार रूपये है अतः यहां की गरीबी स्तर न्यूनतम है।

व्यवसाय के प्रकार – ग्राम कुनकुनी में व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों तथा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय–अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सके जो कि एक अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय–अर्जन गतिविधि सिद्ध हो सके। दूसरा कि व्यवसाय के प्रकार की जानकारी से उस क्षेत्र की मूल आर्थिक कियाकलाप के बारें में जानकारी हासिल हो सके। सर्वे के अनुसार अधिकतम व्यक्ति बिजनेंस कियाकलाप को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। कुल परियोजना प्रभावित परिवारों में 84 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, 3 प्रतिशत व्यक्ति शासकीय नौकरी कर रहे हैं, स्व व्यवसाय में 6 प्रतिशत और अन्य 7 प्रतिशत व्यक्ति अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। अतः इस तरह से हम देखते हैं कि दोनो दृष्टिकोणों से अधिकतम परियोजना प्रभावित व्यक्ति बिजनेंस कार्य में अपना योगदान अधिक दे रहे हैं।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के व्यवसाय के प्रकार

क.संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	कृषि	84
2	बिजनेस	6
3	शासकीय नौकरी	3
4	अन्य	7

(ग) दुर्बल समूह

दुर्बल समूह नहीं है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका

भूमि उपयोग कृषि कार्य के लिये होता है। जीविका कृषि एवं व्यवसाय पर आधारित है।

(ड.) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

कृषि एवं व्यवसाय है।

आर्थिक स्थिति – परियोजना प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी व्यवसाय की जानकारी, उनके परिवार के आय की जानकारी, रोजगार की जानकारी, कामगारों की संख्या और निर्भर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय की जानकारी, परिवार के मुखिया के काम की जानकारी प्रदान करती है कि वह क्या काम करता है। परिवार की आय, कामगार व्यक्तियों के आय पर निर्भर करती है और कामगार व्यक्ति वे होंते हैं जो काम करते हैं और आय प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं जबकि निर्भर-व्यक्तियों में पत्नी, बच्चें, बृद्ध व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति जो काम नहीं करते और आय प्राप्त नहीं करते हैं।

नीचे दिये गये टेबल में अंकेक्षण के अनुसार ग्राम कुनकुनी में 47 प्रतिशत परिवारों का मासिक आय रूपये 5000 से कम है। 28 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 5001 से 10000 तक के बीच में, 12.5 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 10001 से 20000 के बीच में है, 12.5 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 20001 से 40000 के बीच में है। अतः एक परिवार की औसत आय रूपये 10079 प्रत्येक माह है और परिवार की औसत खर्च रूपये 10000 प्रति माह है। कामगार व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक परिवार में औसतन 2 हैं।

परियोजना प्रभावित परिवारों की मासिक आय

क.संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	रूपये 5000 से नीचे	47
2	5001 से 10000	28
3	10001 से 20000	12.5
4	20001 से 40000	12.5
7	40000 से उपर	0.0

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

कृषि एवं व्यवसाय है, भूमि अधिग्रहण उपरांत प्रावधानों के तहत संस्थान अपने उत्तरदायित्व का निवर्हन करेगा।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

ग्राम सुरक्षा समिति एवं एक सांस्कृतिक संगठन

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(ज) प्रशासनिक संगठन

1. वन सुरक्षा समिति
2. शिक्षा समिति
3. स्वास्थ्य समिति
4. साक्षरता समिति

(झ) राजनैतिक संगठन

पंजीकृत राजनैतिक संगठन नहीं है।

(ञ) समुदाय – आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन

नहीं है।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

नहीं है।

(ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

नहीं है।

सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढॉचा और दृष्टिकोण।

परियोजना के निर्माण से विकास एवं रोजगार के अवसर बढ़ने से लोगों के दैनिक मानदेय या रोजी मे बृद्धि होगी जिससे व्यक्ति के आय एवं बचत में भी बृद्धि होगी। इसका सीधा प्रभाव परिवार के आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर पर पड़ेगा। लोक शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने में संक्षम होंगे। अच्छी आय से व्यक्ति उचित पोशक भोजन की व्यवस्था कर सकेंगे एवं स्वच्छता हेतू घरेलू शौचालय जैसे साधनों की स्थापना कर पायेंगे। जीवन यापन हेतु मूलभूत संरचनाओं की स्थिति सुधरेगी।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का वितरण, जैसे– स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक परिवार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो – आकलित समाघात।

सामाजिक समाघात हेतु गठित दल के द्वारा विषयवस्तुत का आंकलन किया गया है।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।

ली जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा दिये जाने के कारण जीविकापार्जन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रायोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकुल सामाजिक लागतों की व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्श।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से कंपनी को दिया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से लोक हित बावत है। रेल लाईन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि ही लिया जाना है, प्रभावितो पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है जनसुनवाई में सुनवाई पूर्ण की गई है उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। परियोजना की लागत एवं कियान्वयन बावत जानकारी पृथक से संलग्न है।

(ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।

प्रारूप – तीन

1. **परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण –**

	पुरूष	महिला	कुल
कुल जनसंख्या	1164	1159	2323
बच्चों की संख्या	270	351	621

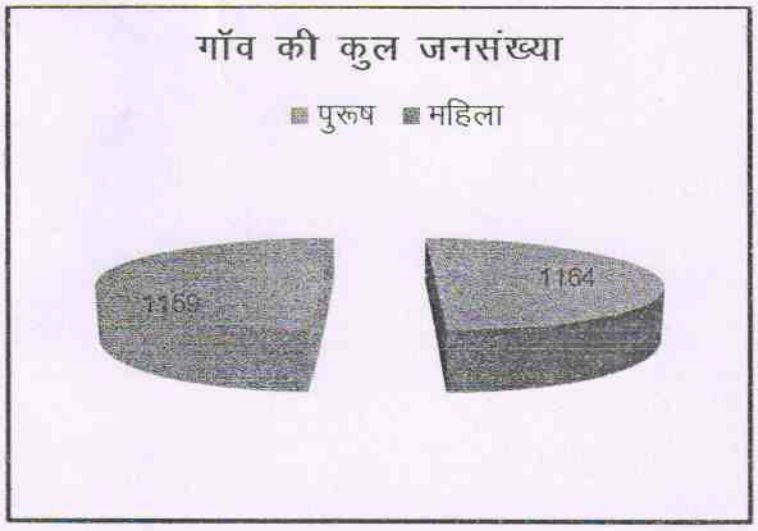

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

जातिवार जनसंख्या	अ.ज.जा.	ज.जा.	अ.पि.व	अन्य
	1410	330	573	10

धर्मवार जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	ईसाई	अन्य
	2319	00	00	04	

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या – 126
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या – 10

4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या –
   - सुखद सहारा – 29
   - सामाजिक सुरक्षा – 94
   - इदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन – 27
5. निरक्षर पुरूष एवं महिलाओं की संख्या – पुरूष 5 + महिला 9 कुल 14

शैक्षणिक परिदृश्य – षिक्षा किसी भी गांव या समाज के विकास की पूजीं होती है। यह विकास एवं उत्थान की दिषा को निर्देशित करती है जब कि कहीं–कहीं पर लोगों के बीच (शिक्षित एवं अशिक्षितों के बीच) नये तरह का अंतर भी पैदा करती है। इन सबके बीच, किसी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दिशा में यह एक मूल जरूरत और एक अच्छा सूचक भी है। नीचे दिये गये आंकडों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुनकुनी में 7 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं और जहां तक गांव के शैक्षणिक परिदृश्य की बात है 14 प्रतिशत लोग ही प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हैं, 27 प्रतिशत व्यक्ति 12 वीं तक तथा 28 प्रतिशत व्यक्ति हाई स्कूल स्तर तक की पढ़ाई प्राप्त किये हैं। इनके अलावा 24 प्रतिशत व्यक्ति ही मात्र स्नातक हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि 7 प्रतिशत व्यक्ति कुल गणना में अशिक्षित हैं।

6. **परियोजना प्रभावित परिवारों की शैक्षणिक अवस्था**

क.संख्या	शिक्षा	प्रतिशत (%)
1	अशिक्षित	7
2	प्राथमिक	14
3	हाई स्कूल	27
4	12वीं	28
5	स्नातक	24

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ (छ.ग.)

7. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन**–

- ग्राम सुरक्षा समिति
- वन रक्षा समिति
- शालेय शिक्षा समिति
- साक्षरता समिति
- स्वास्थ्य सुरक्षा समिति

8. **प्रशासनिक संगठन** – वन सुरक्षा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति एवं साक्षरता समिति।
9. राजनीतिक संगठन – निरंक
10. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य – निरंक

भूमि का उपयोग –

कृषि भूमि	पड़त भूमि	सिंचित एवं फसली भूमि	सिंचित दुफसली भूमि	असिंचित भूमि
45.87	0.50	45.37	निरंक	निरंक

11 जोत का आकार

लघु कृषको की संख्या	सीमांत कृषको की संख्या	कुल खातों की संख्या	भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या	वन अधिकार अधिनिम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियो की संख्या पृथक से दी जाए)
		61		पठान 3 व्यक्ति, कलार 7 व्यक्ति

12 पशुधन

पशुधन की संख्या	दुधारू पशुधन की संख्या
635	गाय 113 + भैंस 12 कुल 125

13 प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार

क्र.	रोजगार का श्रोत	संख्या
1	खेती	153 परिवार
2	सरकारी नौकरी	28 लोग
3	प्राइवेट नौकरी	10 लोग
4	दुकानदारी	20 लोग
5	मजदूरी	57 लोग

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

14 पलायन – 1 कुल सदस्य 5

15 रोजगार में महिलाओं की भागीदारी –

23 – रेजा कार्य, कोलवासरी एवं अन्य

04 – राशन दुकान, पुरूषों के गैरमौजूदगी में

80 प्रतिशत महिलायें कृषि कार्य में भागीदारी

16 खाद्य सुरक्षा

17 अन्य स्थानीय रोजगार –

- कोलवासरी (वेदांता कोलवासरी, कुनकुनी डिपापारा)
- हैक्सा कंपनी (स्पंज आयरन)
- रूकमणि पावर प्लांट (रानी सागर, सराईपाली)
- रेल्वे साईडिंग
- बुधवार लोकल मार्केट

18 मजदूरी दर – 169 रू. प्रतिदिन (रोजगार गारंटी के अंतर्गत)

19 ऋण तक पहुंच –

- ग्रामीण महाजन एवं सम्पन्न व्यक्ति से – लगभग 10 प्रतिशत ब्याज की दर से
- बैंक से (KCC) जिनके पास है – 10 व्यक्तियों के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड बना है।
- सोसायटी से जैसे – खाद, प्रमाणित बीज एवं अन्य

20 परिवहन एवं सड़क –

- क्रांकिटींग एवं पक्की सड़क – बाजार तक पहुँच
- बस सुविधा – डीपापारा कुनकुनी
- रेलवे सुविधा – राबर्टसन, चपले, खरसिया
- हवाई सुविधा – जिंदल रायगढ़
- एम्बुलेंस सुविधा – 108 एवं 102

21 सिंचाई – नहर, बांध

22 बाजार तक पहुंच – क्रांकिटींग एवं पक्की सड़क

23 पर्यटन स्थल –

- पंचमुखी हनुमान मंदिर, भेलवाडीह
- काली मां मंदिर
- शोभा वाटिका
- अटक रॉक गार्डन
- शिव मंदिर
- रामझरना

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

24 सहकारी संस्थाएं –

- सोसायटी (धान मंडी, कृषि मंडी)
- उचित मूल्य की दुकान
- आई.टी.आई खरसिया
- स्वास्थ्य केन्द्र

25 रहन–सहन – समान्य

(एक) धारणाएं, सौदर्यपक्तता मोह एवं अभिलाशा – ग्राम कुनकुनी आदिवासी बाहुल्य गांव है जिसमें लगभग 70 से 80 प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। उनमें बदलाव की संभावनाएं बहुत धीमें गति से होती है, किन्तु आस–पास के गांवों के प्रभाव तथा कई परियोजनाओं के आस–पास में आने के कारण उनमें भी बदलाव आया है, और धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हैं और वो भी अब यहीं चाहते हैं कि उनका तथा उनके गांव का यथासंभव विकास हो।

(दो) गृह– करीब 90 प्रतिशत घर मिट्टी के बनें है उनके छत में खपडे डाले गए है बाकी लगभग 10 प्रतिशत घरों का निर्माण ईंट एवं ढलाई ;(पक्के घर) से बने है।

(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान – सामुदायिक एवं सिविल स्थानों की संख्या 9 है जिनमें सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक चबुतरा, मनोरंजन भवन एवं अन्य चबुतरे स्थित है।

(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल– ग्राम कुनकुनी में धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल विद्यमान है जो कि उनके धार्मिक आस्था एवं संस्कृति के प्रतीक हैं। आदिवासियों की आस्था प्रकृति की पूजा पर आधारित होती है, और उसी से जुडी हुई संस्कृति। कुल मंदिरों की संख्या – 6 है एवं 9 सांस्कृतिक स्थल हैं, जो कि उनके धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का परिचय देती है।

(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज, सिस्टम इत्यादि)– गांव में भौतिक संरचनाएं विद्यामान है जैसे– जलआपूर्ति हेतु शासकीय ओवर हेड पानी टंकी, बोरवेल, ग्रामीण सड़क, पुलिया, मोटर पंप इत्यादि मौजूद है जो कि लोगों के जीवन को सरल बनाती हैं।

(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य, सुविधाएं, आंगनबाड़ी, लोक वितरण, सिस्टम इत्यादि)– ग्राम–कुनकुनी में स्कूलों की संख्या – 4 (शासकीय प्राथमिक शाला – शासकीय माध्यमिक विद्यालय – 1, तथा शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल – 1) मौजूद हैं एवं एक निजी प्राथमिक स्कूल भी है जो कि पाचवीं कक्षा तक है इनके अलावा 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 4 आंगनबाडी तथा 1 लोक वितरण प्रणाली भी अवस्थित हैं

(सात) सुरक्षा अपवाद एवं हिंसा– गांव में किसी तरह की सुरक्षा संबंधित समस्या नहीं है वहां की आपसी सदभावना बनीं हुई है और लोग एक–दूसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहें हैं और स्थानीय लॉ एण्ड आर्डर सही है।

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. **भूमि जीविका और आय पर समाघात –**

(क) रोजगार के स्तर और प्रकार – परियोजना के आने के बाद स्थानीय रोजगार में वृध्दि होगी लोग कंपनी में सीधे तौर पर तथा संविदाकारों के अंदर नियोजित किए जा सकेंगे जो कि मजदूर के रूप में तथा योग्यतानुसार अच्छे पदों पर भी काम कर सकते हैं।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके– इस परियोजना के आने से घरेलू उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ जाती है सी.एस.आर. के माध्यम से विभिन्न स्व सहायता समूह अपने –अपने घरों में स्व रोजगार की शुरूआत कर सकते है जो एक आय–अर्जन का अच्छा साधन हो सकता है।

(ग) आय के स्तर – इस परियोजना के आने से आय के स्तर में बढोतरी होगी। लोग तरह तरह के व्यवसायों की शुरूआत भी कर सकते है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

(घ) खाद्य सुरक्षा – आय की वृध्दि होने से खाद्य सुरक्षा अपने आप बढ जाएगी।

(ड.) जीवन निर्वाह के स्तर– आय की वृध्दि होने से जीवन निर्वाह के स्तर अपने आप अच्छे हो जाते हैं अतः इस परियोजना से भी यहीं आशा और उम्मीद किया जा सकता है।

(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण– आय वृध्दि होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढती जाती है और जिसके लिए उनमें उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण बढ़ जाती है। इस परियेजना से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है।

(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच– परियोजना के आने से जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ जाएगी क्योंकि रोजगार के अवसरों में भी वृध्दि होगी ।

2. **भौतिक संसाधनों पर समाघात**–

(क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात – ग्राम कुनकुनी में रेलवे परियोजना से वहां के प्राकृतिक संसाधनों जैसे– मिट्टी, वायु, जल एवं वन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव – जहां तक ग्राम कुनकुनी में भौतिक संसाधनों पर समाघात का प्रश्न है, जीविका के लिए वहां पर पर्याप्त भूमि हैं एवं वहां के सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर इस परियोजना से किसी प्रकार का दबाव नहीं है।

3. **निजी संपत्तियों लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात** –

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता – विद्यमान स्वास्थ्य सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि परियोजना के सी.एस.आर. विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा सुविधाओं में बेहतरी की संभावना बढ जाती है।

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता– इस परियोजना से चूंकि लोगों के आय में वृध्दि होगी जिससे गृह सुविधाओं के उपयोग करने की क्षमता में भी बढोतरी होगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव– स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली – परियोजना के सी.एस.आर. विभाग के माध्यम से बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली के विकास की संभावना बढ जाती है।

(ड.) निजी संपत्तियों जैसे– बोरवेल, इत्यादि पर समाघात – निजी संपत्तियों जैसे– बोरवेल, इत्यादि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि सी.एस.आर. विभाग के द्वारा उनके मरम्मती एवं रख–रखाव का कार्य और अच्छी तरह से की जा सकती है।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ (छ.ग.)

4. स्वास्थ्य समाघात–

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से महिलाओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

5. **सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात**–

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण– इस परियोजना से किसी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण नहीं होगा।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – इस परियोजना से किसी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होगा।

(ग) आर्थिक, पारिथिकी, संतुलन में परिवर्तन– इस परियोजना के आने से गांव के लोग मुआवजे के राशि प्राप्त करते हैं साथ ही साथ योग्यतानुसार नौकरी भी प्राप्त करते है जिससे उनके आर्थिक जीवन पर सीधा प्रभाव पडता है, किन्तु पारिथिकी संतुलन में इस परियोजना से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

(घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात– इस परियोजनाओं के आने से अलग–अलग सोच विचार के लोग एवं पढे–लिखे लोगों का प्रभाव उस क्षेत्र में बढता है जिसका सीधा प्रभाव वहां के गरीब व कम पढे–लिखे लोगों पर भी पडता है जैसे – उनके रहन–सहन में परिवर्तन आता है, उनके सोच में परिवर्तन आता है, और सांस्कृतिक रूप से और सुदृढ होते है।

(ड.) अपराध एवं अवैध कियाकलाप – रोजगार की कमी के कारण गांव में अपराध एवं अवैध कियाकलापों में वृध्दि होती है लेकिन परियोजनाओं के आने से रोजगार की संभावनाएं बढती है जिससे जुड़कर लोग अपने मन को विभिन्न तरह के कार्यो में लगाकर आय–अर्जन कर सकते हैं। इस तरह की संभावना कुनकुनी ग्राम में भी व्यक्त की जा सकती है।

(च) विस्थापन का तनाव– इस परियोजना से किसी प्रकार के विस्थापन के संभावना नहीं है अतः इसे विस्थापन का तनाव शून्य है।

(छ) संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात – परियोजना के लिए जमीन विकी या भू–अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती है, किन्तु साथ–साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन में सुधार भी आ जाती है। लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते हैं।

6 **चकीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात**– यह चकीय परियोजना नहीं है अतः निम्नलिखित किसी भी चरणों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा।

क) **पूर्व–सन्निर्माण चरण**.– निर्माण अवधि कम होने एवं ग्राम के संपूर्ण रकबे मे से 45.87 एकड़ भूमि अर्जन किये जाने से सेवाओं को प्रदान कराने लाभकारी निर्देश एवं अनिश्चितता का दबाव कम से कम रहेगा।

ख) **सन्निर्माण चरण**– परियोजना के निर्माण मे अधिकतम उन्नत किस्म की मशीनरी का उपयोग होने से कम से कम संख्या मे मजदूरो का आगमन होगा। जिसके कारण प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का आगमन न्यूनतम होगा।

ग) **प्रवर्तन चरण**–परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्यशक्ति का विस्थापन होगा। परंतू स्थायी व्यक्तियो पर विपरीत प्रभाव कम होगा। वरन नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप उनके आर्थिक गतिविधियो मे वृद्धि होगी।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

घ) **कार्य से हटाने वाला चरण**– यह परियोजना एक स्थायी परियोजना है इसे यहा से हटाया नही जावेगा।

ड) **प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात**– परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम की 45.87 एकड़ भूमि अर्जन किया जाएगा जो कि ग्राम के कुल रकबे का 2.01 % है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात न्यूनतम होगा।

च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) परियोजना के निर्माण से ग्राम कुनकुनी मे विस्थपन नही हो रहा, केवल 45.87 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य परियोजना के समाघात को मिलाने पर संचित समाघात का प्रभाव उपरोक्तानुसार न्यूनतम होगा।

सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

1.अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

2.यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवष्यकता नही है।

3.पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए परियोजना द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।

4.परियोजना के आने से प्रभावित गॉव एवं आसपास के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।

5.महिला सशक्तिकरण के लिये स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा जिससे कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।

6.प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा एवं रैखिक (Linear) अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

7.विशेषज्ञ समूहो द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण जनसुनवाई के दौरान मुआवजा के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

8.प्रभावित भूमि का विवरण । (सूची संलग्न)

9.प्रभावित खातेदारों के सहमति की सूची संलग्न ।

10.समाजिक समाघात संधारण जनसुनवाई दिनांक 29.06.2016 के दौरान प्रभावित परिवारों द्वारा प्राप्त समस्याओं एवं निराकरण :–

- प्रभावित भूमि स्वामियों द्वारा प्रति एकड़ 50 लाख मुआवजे की मांग की गई जिसे भू–अर्जन अधिकारी द्वारा शासन के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा का निर्धारण करने की जानकारी दी गई।
- भूमि विस्थापितों द्वारा परियोजना के आने से अधोसंरचना में क्या विकास होगा की जानकारी चाही गई जिसमें विशेषज्ञ समूहों द्वारा बताया गया कि गॉव की सड़क एवं अन्य अधोसंरचना के लिये सी.एस.आर. के मद से प्रबंधन द्वारा विकास कार्य किया जायेगा।
- भूमि विस्थापितों द्वारा पुनर्वास लाभ के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई जिसके परिपालन में पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा छत्तीसगढ़ पुनर्वास पुनर्वास्थापन नीति के तहत लाभ दिये जाने की जानकारी दी गई।

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

विशेषज्ञ समूहो द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन रिपोर्ट सौपते हुए भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है ।

सामाजिक समाघात सदस्यों का नाम व हस्ताक्षर

(1) **श्री आर.एल.शर्मा**

अनुविभागीय अधिकारी (केलो परियोजना)

सर्वेक्षण उपसंभाग कमांक–1 रायगढ़

(1) **श्रीमती मीनाक्षी राठौर (सदस्य)**

जिला पंचायत सदस्य खरसिया क्षेत्र क्र.15

(2) **श्रीमती सुशीला गोयल, प्राध्यापक (समाज शास्त्र),**

महात्मा गांधी शासकीय महाविद्यालय तहसील खरसिया

(2) **श्री छेदु राम राठिया (अध्यक्ष)**

जनपत पंचायत खरसिया

(3) **श्री एस.सी.साय**

अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) उप संभाग खरसिया

नायब तहसीलदार
खरसिया
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

आज दिनांक 27.09.2016 को रायगढ़ में कलेक्टर महोदया के पत्र कमांक 8265/भू–अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 के संदर्भ में निर्धारित समयानुसार 2 बजे गठित समाजिक समाघात विशेषज्ञ समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1. श्री सुधीर दाण्डेकर, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर – अध्यक्ष
2. सुश्री विनिता सोनी, यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ
3. डा. मुकेश गोस्वामी, समाज विज्ञानी जनमित्रम रायगढ़ (एन.जी.ओ.)
4. श्रीमती विमला राठिया, जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक 22 गुरदा विकासखंड खरसिया।
5. श्री गजानंद पटेल, उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा विकास खंड खरसिया।
6. श्री एस.पी. दिक्षित, सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर।
7. श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त, कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण,पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर।

दिनांक : 30.09.2016

प्रति,

कलेक्टर
रायगढ़, जिला – रायगढ़

विषय :– विशेषज्ञ समूह द्वारा समाजिक समाघात का अंकन।

कलेक्टर महोदया के पत्र क्रमांक 8265/भू–अर्जन/2016 दिनांक 19.09.2016 एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) खरसिया के पत्र क्रमांक/भू–अर्जन/2016/1172 दिनांक 21.09.2016 के अनुक्रम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 27.09.2016 को बैठक आयोजित कर समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन (Appraisal) किया गया ।

अंकन मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर आधारित था :–

(क) इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।

(ख) प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है।

(ग) ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है।

(घ) इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है।

(ड़) इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है।

(च) परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन।

(क). इस बात का निर्धारण कि क्या प्रभावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है ?

इस संबंध में समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । रिपोर्ट में यह प्रतिवेदित है कि प्रस्तातिव अधिग्रहण उद्योग विभाग द्वारा 1200 मेगावाट पावर प्लांट के लिये जो कि बाड़ादरहा जिला जांजगीर चांपा में पूर्व से ही स्थापित है एवं विद्युत उत्पादन कर रहे प्लांट हेतु कोयला परिवहन के लिये ग्राम बड़ादरहा से रॉबर्टसन तक 13 कि मी. रेल लाईन बिछाई जाने हेतु यह अधिग्रहण प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी के उपयोग के लिये ग्राम बाड़ादरहा से ग्राम बेन्दोझरिया तक 9 कि.मी. तक का भू–अर्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है। आने वाले समय में बढ़ते औद्योगिक निवेश बढ़ती जनसंख्या और विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत उत्पादन प्रदेश और देश के व्यापक हित में है और स्पष्ट ही लोक प्रयोजन के उपयोगी उद्योगो की श्रेणी में आता है। स्पष्ट है कि यदि इस 4.275 कि. मी. को पूर्ण नही किया गया तो कोयले का परिवहन बाधित होगा और पूर्व में किया गया अधिग्रहण निर्थक होगा जो क्षति दायक होगा।

ख. **प्रभावित कुटुंबों का और उनमें से उन कुटुंबों की संख्या का प्राक्कलन, जिनके विस्थापित होने की संभावना है ?**

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से ना तो कोई माकान टूट रहे है और ना किसी वासस्थान पर विपरीत प्रभावत पड़ रहा है अतः वासस्थानों से वांछित होने वालों की संख्या शून्य है।

यह प्रस्तावित अधिग्रहण रेखीय (Liner) स्वरूप का है । अतः यद्यपि इसमें प्रभावित कुटुम्बों की संख्या अधिक होती है परन्तु अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल कम होता है। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जहॉ एक ओर प्रभावित खातेदारों की संख्या 61 है वहॉ अर्जित किये जाने वाला रकबा 45.85 एकड़ है। अर्थात प्रति खाते का औसत एक एकड़ से भी कम है समूह द्वारा प्रभावितों की सूची का अवलोकन किया गया। सूची के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ कि कोई भी खातेदार भू–अर्जन के पश्चात निरंक भूमि वाला नही रह जायेगा। स्पष्ट है कि प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी भूमि विस्थापित का सम्पूर्ण भूमि नही जायेगी और ना ही अजीविका का साधन ।

ग. **ऐसी सार्वजनिक और प्राइवेट भूमि, मकानों, व्यवस्थापनों और अन्य संपत्तियों की सीमा, जिनके प्रस्तावित अर्जन से प्रभावित होने की संभावना है ?**

प्रस्तावित भू–अर्जन नही किया जा रहा है। प्रभावित होने वाले खातेदारों की सूची और विवरण का अवलोकन किया गया जो संलग्न है। अर्जन से पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कंठिका ख में किया जा चुका है।

घ. **इस बात का अध्ययन कि क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा उस परियोजना के लिए पूर्णतया यथार्थ न्यूनतम सीमा तक की ही है ?**

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवं समाजिक समाघात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह समूह इस बात से संतुष्ट है कि भूमि कि जितनी आवश्यकता है उतने का ही अधिग्रहण किया जा रहा है एवं न्यूनतम दूरी का ध्यान रखा गया हैं इस संबंध में परियोजना से संबंधित तकनीकि विशेषज्ञ की राय पृथक से संलग्न है।

ड़. **इस बात का अध्ययन कि क्या किसी आनुकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन किए जाने पर विचार किया गया है और उसे साध्य नहीं पाया गया है ?**

यह एक रेखीय (Liner) प्रोजेक्ट है एवं न्यूनतम दूरी का प्रस्ताव किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था का प्रश्न ही नही उठता क्योंकि ऐसा करने पर अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में अनावश्यक वृद्धि ही होगी।

च. **परियोजना के सामाजिक समाघातों तथा उनको ठीक करने की प्रकृति और खर्च तथा इन खर्चो का परियोजना के समग्र खर्च पर परियोजना के फायदों की तुलना में समाघात के अध्ययन ?**

इस प्रस्तावित अधिग्रहण से शासकीय परिसम्पत्तियों को या सार्वजनिक स्थलों को कोई नकुसान नही हो रहा है। अतः इसमें पुनः निर्माण आदि पर खर्च होने का कोई प्रश्न ही नही उठता, केवल निजी भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। जिसके लिये अधिनियम में प्रस्तावित निर्धारित मुआवजा एवं पुनर्वास नीति का अनुसरण किया जाना होगा। जिसमें अंकन अथवा मत देना विशेषज्ञ समूह के कार्यक्षेत्र में नही है।

विशेषज्ञ समूह द्वारा पूर्व में गठित समूह के प्रतिवेदन अवलोकन किया और यह पाया कि अधिनियम में प्रवधानित जनसुनवाई की गई थी । कुल खातेदार 61 में 55 लोगो ने अपनी सहमति दी है इसकी पुष्टि विशेषज्ञ समूह के संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया द्वारा भी की गई है।

चूकि यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित है । अतः P.E.S.A. के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि ग्राम सभा कि बैठक आयोजित की जा कर प्रस्तावित भू–अर्जन के पक्ष में ग्राम सभा ने अपना मत व्यक्त किया है।

उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर विशेषज्ञ समूह कि यह राय है कि :–

A. रेल लाईन बिछाने कि इस परियोजना से पावर प्लांट को कोयले के परिवहन कि सुविधा प्राप्त होगी जिससे विद्युत उत्पादन के लोक प्रयोजन की पूर्ति होगी।

B. सम्भाव फायदे समाजिक खर्च और प्रतिकूल समाजिक समाघातों कि तुलना में बहुत अधिक है।

C. प्रस्तावित अधिग्रहण यथार्थ न्यूनतम सीमा में है और इससे कम प्रभावित (विस्थापन कोई नही है) किये जाने सम्बन्धी कोई विकल्प उपलब्ध नही है ।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए विशेषज्ञ समूह द्वारा भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :–

1. प्रभाविक कृषको की सूची।
2. रेल्वे विशेषज्ञ की रिपोर्ट।
3.

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
खरसिया (छ.ग.)

सहायक
दुर्गेश वर्मा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया

श्री सुधीर दाण्डेकर,
अध्यक्ष, सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर

श्री एस.पी. दिक्षित,
सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर

श्री हरीलाल, सेवा निवृत्त,
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
दक्षिण,पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर

President
Youth Welfare Society Raigarh

सुश्री विनिता सोनी,
यूथ वेलफेयर सोसाईटी रायगढ

डा. मुकेश गोस्वामी,
समाज विज्ञानी जनमित्रम रायगढ (एन.जी.ओ.)

Secretary
Janmitram Kalyan Samiti
RAIGARH (C.G.)

श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य
क्षेत्र क्रमांक 22

श्रीमती विमला राठिया
जनपद सदस्य क्षेत्र कमांक 22 गुरदा
विकासखंड खरसिया।

श्री गजानंद पटेल
उप सरपंचय ग्राम पंचायत रजघटा
विकास खंड खरसिया।

दिनांक 28/9/16

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सन्दर्भ:- पत्र क्रमांक / भू. अर्जन / 2016 / 1172 खरसिया दिनांक 21/09/2016

विषय :- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छ.ग. के पत्र क्रमांक 845 / भू. अर्जन / 2016 रायगढ़ दिनांक 19/09/2016 के परिपालन मे गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम् सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना ग्राम कुनकुरी के मूल्यांकन हेतु।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 27/9/2016 को भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अन्तर्गत बैठक आयोजित कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का अंकन किया गया अंकन मुख्यतया सात बिंदुओ पर आधारित था हमारे पद के आधार पर यह है कि प्रस्तावित भूमि का अर्जन परियोजना के लिए पूर्णतया पर्याप्त न्यूनतम आवश्यकता की सीमा के अन्दर तय है।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अवलोकन एवम् रेल विभाग द्वारा प्रमाणित मानचित्र का गहनता से अध्ययन किया जिसमें यह पाया गया कि परियोजना के लिए कुनकुरी ग्राम की 45.87 एकड़ भूमि प्रस्तावित है जिसमें लगभग 4.2 किमी. लम्बा ट्रैक प्रस्तावित है। भूमि का अर्जन रेलवे की आवश्यकता के आधार पर किया गया है।

अतः यह पुनः प्रमाणित किया जाता है कि भू अर्जन रेलवे ट्रैक की आवश्यकतानुसार ही है।

28/9/16

हशीलाल रिटायर्ड कार्यपालन अभियंता, बिलासपुर
निर्माण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे